2024/223

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 87/2024 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती लक्ष्मीबाई पिता वेणा जी डांगी धर्मपत्नी लोगर जी डांगी, निवासी देवरे की मंगरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. वेणा पिता स्वर्गीय गांगा जी डांगी, निवासी 4, त्रिमूर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 4, मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अम्बालाल पिता वेणा जी डांगी, निवासी 4, त्रिमूर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर नंबर 4, मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दि. 16.08.2024 प्र.सं. 29/2024

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

---/---

उपस्थित :– 1– श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री पन्नालाल मारू अभिभाषक रे.सं. 1, 2

---::---

निर्णय **दिनांक 08–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत किया एवं निवेदन किया वादग्रस्त आराजियात अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, जिसका अंकन वादीया द्वारा वाद की कलम संख्या 3 व 4 में किया गया है तथा वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में 1/3 हिस्से की घोषणा एवं निषेधाज्ञा चाही गयी [illegible] भूमि किस प्रकार मौरूसी है तथा उसका उद्गम कहां से हुआ [illegible] वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति कैसे हुई, यह अपने वाद में स्पष्ट नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

किया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को मौरूसी होने का कथन करता है तो उसे अपने वाद पत्र में आज्ञापक रूप से स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि किस प्रकार से सम्पत्ति मौरूसी है। प्रकरण में वादिया ने अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में ही हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को सम्पत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा होकर उसके द्वारा रजिस्टर्ड दान प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। वादीया ने उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र को शून्य घोषित कराये जाने बाबत् माननीय न्यायालय से अनुतोष मांगा है, जबकि पंजीकृत हस्तान्तरण विलेख को दीवानी न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित किया जा सकता है। वादीया जब तक रजिस्टर्ड दान पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेवे तब तक वादीया को माननीय न्यायालय में हस्तगत वाद का कारण पैदा नहीं होता है। अतः वादीया के वाद को वाद कारणों के अभाव में निरस्त फरमाया जावे।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

2. वादीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में स्पष्ट अंकन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि कहां से आयी है। पत्रावली वास्ते जिरह लम्बे समय से चल रही है, किन्तु प्रतिवादी ने जिरह नहीं कर जानबूझकर प्रकरण को लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादीया का वाद किसी भी विधि से बाधित नहीं है। वादीया ने अपने वाद में स्पष्ट अभिवचन किया है कि तथाकथित दान पत्र वादीया के अधिकारों के मुकाबले शून्य है, न कि शून्यकरणीय दस्तावेज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 16–08–2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीया का वाद खारिज किया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट/वादीया द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 27–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि गांगा पिता लखा जी डांगी के खातेदारी आधिपत्य की होकर पक्षकारान की मौरूसी भूमि है, जिसमें अपीलान्ट का जन्म से हक अधिकार निहित है। जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त मेवाड़ संवत् 1997 में उक्त भूमि गांगा पिता लखा डांगी के नाम दर्ज है तथा गांगा की मृत्यु पश्चात उनके दोनों वेणा व लाला के नाम दर्ज हुई। अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की पुत्री है तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 अपीलान्ट का भाई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर मौरूसी सम्पत्ति है, जिसमें अपीलान्ट का जन्म से हक व अधिकार निहित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को मौरूसी सम्पत्ति को बक्षीस करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में जवाबदावा लेकर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2024 निरस्त की जावें। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2020 (2) Page 998, RRT 2020 (2) Page 1061, RLW 2010 (1) RJ Page 313, RRT 2008 (1) Page 642, RRT 2016 (2) Page 946, RRT 2013 (1) Page 356, RBJ (17) 2010 Page 721, RRT 2013 (2) Page 1248, 2016 (3) DNJ (Raj.) Page 1186, Hindu Succession Act Sec 6 प्रस्तुत की।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को सम्पत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। वादग्रस्त भूमि किस [illegible] मिली है तथा उसका उदगम कहां से हुआ तथा [illegible] सम्पत्ति कैसे हुई, अपीलान्ट इसे साबित नहीं करा सकी है। वादीया ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

रजिस्टर्ड दान पत्र को शून्य घोषित कराये जाने बाबत् माननीय न्यायालय से अनुतोष मांगा है, जबकि पंजीकृत विलेख को सिविल न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 1986 Supreme Court Page 1753, AIR 1987 Supreme Court Page 558, 2016 DNJ (SC) Page 258, 2016 DNJ (SC) Page 267, AIR 2017 Supreme Court Page 494, AIR 2016 Delhi High Court Page 120, 2014 (1) ADR 330, AIR 2007 NOC Page 2117 Madras High Court, AIR 2007 NOC Page 2236 Karnataka High Court, AIR 2016 NOC Page 273 Punjab & Haryana High Court, AIR 1977 Supreme Court Page 2421, RRT 2021 (1) Page 27, AIR 1998 Supreme Court Page 634, AIR 1987 Supreme Court Page 1926, Hindu Succession Act Sec 8 प्रस्तुत की।

7. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है कि मौजा मनवाखेड़ा के खाता संख्या 372 की आराजी नंबर 428 से से 441 एवं 449 कुल किता 15 रकबा 1.6250 हैक्टर तथा खाता संख्या 373 की आराजी नंबर 423, 424, 1207 कुल किता 3 रकबा 0.8350 हैक्टर व खाता संख्या 374 की आराजी नंबर 419 रकबा 0.0250 हैक्टर भूमि के साबिक आराजी नंबर 213, 214, 225, 226, 227, 228, 229, 233 उसके दादा गांगा की खातेदारी की है, जो पैत्रृक होने से उसका जन्म से अधिकार है एवं इसी आधार पर उनके द्वारा अपने पिता के हिस्से की भूमि में से 1/3 हिस्से की खातेदारी चाही गयी है। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2020 (2) पेज 998 प्रस्तुत की उसके अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 अनुसार पुत्री को पुत्र को समान ही हक व अधिकारी माना गया है, किन्तु इस प्रकरण में अपीलान्ट के दादा वेणा की मृत्यु कब हुई अर्थात 1956 से पूर्व हुई या बाद में एवं दादा की मृत्यु के समय अपीलान्ट/वादिया का जन्म हो चुका था कि नहीं, यह अपीलान्ट ने अपने वाद [illegible] भी स्पष्ट नहीं किया है, न ही आदेश 7 नियम 11 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

का कोई उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है।

रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात मौरूसी सम्पत्ति कैसे हुई, यह अपीलान्ट/वादीया ने अपने वाद में स्पष्ट नहीं किया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को मौरूसी होने का कथन करता है तो उसे अपने वाद पत्र में आज्ञापक रूप से इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि किस प्रकार से सम्पत्ति मौरूसी है। अपीलान्ट/वादिया ने अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 वेणा के जीवनकाल में खातेदारी हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को सम्पत्ति में कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनका यह भी कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वेणा ने रजिस्टर्ड दान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है, जब तक वादीया रजिस्टर्ड दान पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेती तब तक राजस्व न्यायालय से उसके किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इस संबंध में हमने अपीलान्ट के वाद पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि वादीया ने अपने वाद पत्र में यह कहीं नहीं बताया कि उसके दादा की मृत्यु कब हुई तथा मौरूसी सम्पत्ति कैसे हुई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार गांगा के प्रथम श्रेणी के वारिस उसके पुत्र वेणा व लाला में भूमि निहित हुई। अपीलान्ट/वादीया ने अपने पिता के जीवनकाल उसके हिस्से में अपना 1/3 हिस्सा बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, जबकि पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को दावा लाने का अधिकार ही नहीं है, जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डी.एन. जे. (SC) पेज 258 में माननीय सुप्रिम कोर्ट ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पिता के जीवनकाल में पुत्र अथवा पुत्री को दावा लाने का अधिकार नहीं है।

न्यायिक नजीर 2014 (1) [illegible] 330 में [illegible] सिद्धान्त अनुसार पिता की मृत्यु [illegible] उसकी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

निजी सम्पत्ति बन जायेगी। मृतक स्वामी के जीवित रहने तक सम्पत्ति में कोई सह–दायिक हिस्सा प्राप्त नहीं कर सकेगा। स्वामी की मृत्यु होने के बाद सम्पत्ति मृतक के पुत्र को उसकी व्यक्तिगत हैसियत से हस्तान्तरित हो जायेगी। मृतक के पोते का वाद की सम्पत्ति के विभाजन के लिए दावा स्वीकार्य योग्य नहीं माना है। इस प्रकरण में भी गांगा की मृत्यु पर सम्पत्ति उसके पुत्र वेणा को प्राप्त हुई है, जो उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जायेगी तथा वेणा के जीवनकाल में उसकी पुत्री को वाद लाने का अधिकार नहीं है। न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2016 दिल्ली पेज 120 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया है कि हिन्दू अविभाजित सम्पत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए यह साबित कराया जाना आवश्यक है कि दादा की मृत्यु सन् 1956 से पूर्व हुई या बाद में, जबकि इस प्रकरण में अपीलान्ट/वादिया ने अपने वाद में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उसके दादा की मृत्यु किस सन् में हुई है।

प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट/वादिया ने अपने अनुतोष में रजिस्टर्ड बक्षीसनामे को शून्य घोषित कराने का अनुतोष चाहा है, जिसका श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्यायिक नजीरों के आधार पर वादीया का वाद विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं न्यायिक नजीरों अनुसार प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

8. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–08–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम........**उदयपुर**.......
व इजलास ....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** ....

श्रीमती लक्ष्मीबाई पुत्री वेणा जी डांगी, धर्मपत्नी लोगर डांगी, नि0 देवरे की मंगरी, भुवाणा, तह. बडगांव, उदयपुर	बनाम	**वेणा पिता स्व. गांगा जी डांगी, नि0 4, त्रिमूर्ति कॉम्पलेक्स, हिरण मगरी सेक्टर नं. 4, मनवाखेड़ा, त. गिर्वा, उदयपुर व अन्य**

अपील नं.......**87 / 2024**...........व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा**... मुकाम..........मुवर्खे.........**16**............माह..........**08**..........**2024**..............

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**08**....माह......**08**.....सन् **2025** रूबरू..........**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री लोकेश गहलोत**...मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री पन्नालाल मारू** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि....**अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 16–08–2024 यथावत रखी जाती हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)....रूपये...... **X**........ अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का...................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.......**08**.......माह.......**08**..........**2025**........ को जारी किया गया।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

8.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा 3. इजराय हुक्मनामा .. 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.........		
मीजान			मीजान ...		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का [illegible] डि[illegible] जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:43:19 IST
Reason: SelfAttested